



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **JULY 13, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. नशा मुक्त युवा, विकसित भारत अभियान.....	2
2. स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर और एकीकृत वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र	4
3. भारत-अफगानिस्तान कृषि सहयोग	5
4. एस. जानकी: विरासत और राजकीय सम्मान	7
5. न्यायिक निरीक्षण बनाम मंदिर स्वायत्तता: सबरीमाला बहस	8
6. बंदी हाथियों का अंतर-राज्यीय स्थानांतरण: नीति और चिंताएं	10
7. न्यायिक अवकाश और लंबित मामलों का संकट	11
8. हीलियम निर्यात पर प्रतिबंध: रणनीतिक निहितार्थ और आपूर्ति श्रृंखला गतिशीलता	13
9. जिला विकास परिषद (DDC) और J&K में स्थानीय शासन	14
10. ISRO गगनयान मिशन: सफल सिस्टम योग्यता परीक्षण	16
11. न्यायिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाना: लिंग-उत्तरदायी सुविधाओं पर ध्यान.....	17
12. 2016 के दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता फैसले की पुनः पुष्टि	18



1. नशा मुक्त युवा, विकसित भारत अभियान

मुख्य अंश एवं सारांश

- युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (MYAS) ने 'मेरा युवा भारत' (MY Bharat) प्लेटफॉर्म के माध्यम से 'नशा मुक्त युवा, विकसित भारत' अभियान के तहत जिला-स्तरीय प्रतियोगिताओं की शुरुआत की है।
- इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई को 'जन आंदोलन' में बदलना है, जो 'विकसित भारत @2047' के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- यह प्रतियोगिता तीन चरणों में आयोजित की जाएगी: जिला स्तर (24-27 जुलाई 2026), राज्य स्तर (30 जुलाई - 6 अगस्त 2026), और नई दिल्ली में राष्ट्रीय फिनाले (12-13 अगस्त 2026)।

- 15-29 वर्ष के प्रतिभागी पांच रचनात्मक श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं: नृत्य, संगीत, रील एवं लघु फिल्म, नुक्कड़ नाटक, और स्लम पोएट्री।
- समावेशी और जमीनी स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रविष्टियाँ हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में स्वीकार की जा रही हैं।
- पंजीकरण 13 जुलाई 2026 से आधिकारिक 'माई भारत' (MY Bharat) पोर्टल पर शुरू हो गए हैं, जो युवा-नेतृत्व वाले सामाजिक परिवर्तन को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों का लाभ उठा रहे हैं।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **मेरा युवा भारत (MY Bharat):** यह एक स्वायत्त निकाय है जिसे युवा विकास के लिए वन-स्टॉप शॉप और सरकार व नागरिकों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया है, जो युवा-नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देता है।
- **जन आंदोलन:** सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी वाला एक सामूहिक आंदोलन, जहाँ नागरिक राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक उद्देश्यों का स्वामित्व लेते हैं।
- **विकसित भारत @2047:** भारत सरकार का भारत को स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का दृष्टिकोण।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 47:** राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत, राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाए तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करे। यह विशेष रूप से राज्य को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
- **नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985:** भारत में प्राथमिक कानून जो नशीले पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थों के निर्माण, कब्जे, बिक्री, परिवहन और उपयोग को प्रतिबंधित करता है।
- **नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA):** 2020 में शुरू किया गया, यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का प्रमुख अभियान है, जिसका उद्देश्य संस्थागत समर्थन और सामुदायिक पहुंच के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

निष्कर्ष

'नशा मुक्त युवा, विकसित भारत' अभियान मादक पदार्थों के दुरुपयोग को संबोधित करने में एक रणनीतिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें युवाओं को परिवर्तन के प्राथमिक वाहक के रूप में केंद्र में रखा गया है। रचनात्मक कलाओं को सामाजिक वकालत के साथ जोड़कर, यह पहल 'युवा शक्ति' को रचनात्मक राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर प्रभावी ढंग से निर्देशित करती है। यह बॉटम-अप (निचले स्तर से ऊपर) दृष्टिकोण दीर्घकालिक व्यवहार परिवर्तन और एक स्वस्थ, विकसित और नशा मुक्त भारत के व्यापक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

UPSC प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन पेपर II:** विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं से संबंधित मुद्दे।

- **सामान्य अध्ययन पेपर III:** आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ और सामाजिक परिवर्तन में सोशल मीडिया/युवाओं की भूमिका।
- **निबंध विषय:** राष्ट्र-निर्माण में युवाओं की भूमिका, शासन के उपकरण के रूप में सामाजिक आंदोलन, और संस्कृति व सार्वजनिक नीति के बीच तालमेल।

2. स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर और एकीकृत वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र

मुख्य अंश एवं सारांश

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 10-19 सितंबर 2026 तक 'स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर' तटीय स्वच्छता अभियान का नेतृत्व कर रहा है।
- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विकास में तेजी लाने के लिए अलग-थलग संस्थागत कामकाज से एकीकृत वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बढ़ने का आह्वान किया है।
- यह पहल वैज्ञानिक पर्यावरणीय संरक्षण को 'जन आंदोलन' में बदलते हुए, तकनीकी नवाचार को जमीनी सार्वजनिक भागीदारी के साथ विलय करने का प्रयास करती है।
- अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) और नेशनल क्रांटम मिशन सहित भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए विज्ञान मंत्रालयों में एक एकीकृत संचार रणनीति तैनात की जा रही है।
- CSIR, ISRO, DBT और DST जैसे प्रमुख निकायों को शामिल करने वाले सहयोगी ढांचे को बायोमेडिकल अनुसंधान, जैव-अर्थव्यवस्था (bioeconomy) और क्षेत्रीय नवाचार को बढ़ाने के लिए मजबूत किया जा रहा है।
- बैठक में सार्वजनिक जुड़ाव बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने पर जोर दिया गया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अनुसंधान के परिणाम नागरिकों, उद्योग और शिक्षाविदों तक प्रभावी ढंग से पहुंचें।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **एकीकृत वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र:** एक शासन मॉडल जहाँ वैज्ञानिक विभाग संसाधनों, ज्ञान और बुनियादी ढांचे को साझा करते हैं ताकि साइलो (silos) को समाप्त किया जा सके और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर अनुसंधान के प्रभाव को अधिकतम किया जा सके।
- **स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर:** समुद्र तट की सफाई और महासागर के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया गया एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जो पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक कल्याण के बीच तालमेल को उजागर करता है।
- **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF):** अनुसंधान और विकास (R&D) को प्रोत्साहित करने और पूरे भारत के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अनुसंधान व नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्रमुख निकाय।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 51A(g):** भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य मानता है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे, जिसमें वन, झीलें, नदियाँ और वन्यजीव शामिल हैं, और जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखे।
- **तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना:** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जारी, यह ढांचा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए समुद्र तट के पास मानवीय और औद्योगिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
- **विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (STIP):** भारत के R&D परिदृश्य का मार्गदर्शन करने वाला व्यापक नीतिगत ढांचा, जो विज्ञान के लोकतंत्रीकरण और अनुसंधान व विकास पर सकल व्यय (GERD) को बढ़ाने पर जोर देता है।

निष्कर्ष

'स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर' अभियान का व्यापक अंतर-मंत्रालयी संचार रणनीति के साथ अभिसरण भारत के विज्ञान प्रशासन में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। सहयोग को बढ़ावा देकर और सार्वजनिक आउटरीच को प्राथमिकता देकर, सरकार न केवल पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान कर रही है, बल्कि नागरिकों के बीच 'वैज्ञानिक सोच' (scientific temper) का भी निर्माण कर रही है। यह एकिकृत दृष्टिकोण एक आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्र के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।

UPSC प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन पेपर II:** विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप; शासन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका।
- **सामान्य अध्ययन पेपर III:** संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीक विकसित करना।
- **निबंध/नैतिकता:** सामाजिक परिवर्तन में वैज्ञानिक संस्थानों की भूमिका और सतत विकास में पर्यावरणीय प्रबंधन (stewardship) का महत्व।

3. भारत-अफगानिस्तान कृषि सहयोग

मुख्य अंश एवं सारांश

- तालिबान प्रशासन के कृषि, सिंचाई और पशुधन मंत्री अताउल्ला ओमारी ने कृषि सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए भारत का दौरा किया।
- चर्चाएं सिंचाई, पशुधन प्रबंधन, कृषि अनुसंधान और बुनियादी ढांचे के विकास सहित बहुआयामी सहयोग क्षेत्रों पर केंद्रित रहीं।
- भारत ने जलवायु-लचीली खेती, जैव-फोर्टिफाइड फसल किस्मों और बीज प्रणालियों में विशेषज्ञता साझा करके अफगानिस्तान की खाद्य सुरक्षा का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्धता जताई।

- प्रतिनिधिमंडल ने क्षमता निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण में मूल्यवर्धन और द्विपक्षीय कृषि-व्यापार को बढ़ाने के लिए नाबार्ड (NABARD), ICAR और IARI जैसे प्रमुख भारतीय संस्थानों के साथ बातचीत की।
- यह उच्च-स्तरीय संपर्क तकनीकी सहायता और ज्ञान साझा करने के माध्यम से अफगानिस्तान में खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक लक्षित प्रयास का संकेत देता है।
- यह जुड़ाव क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय सहायता में भारत के रणनीतिक हित को रेखांकित करता है, जो गैर-राजनीतिक, विकास-केंद्रित सहयोग पर केंद्रित है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **जैव-फोर्टिफाइड फसलें:** कृषि उत्पाद जिन्हें पोषण मूल्य (जैसे विटामिन और खनिजों की अधिक सांद्रता) बढ़ाने के लिए प्रजनन या जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से उन्नत किया गया है।
- **जलवायु-लचीली कृषि:** प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण जो चरम मौसम की घटनाओं का सामना करने वाली फसल किस्मों का उपयोग करके बदलती जलवायु के तहत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **क्षमता निर्माण:** उन कौशल, प्रवृत्तियों, क्षमताओं, प्रक्रियाओं और संसाधनों को विकसित और मजबूत करने की प्रक्रिया जिनकी संगठनों और समुदायों को जीवित रहने, अनुकूलन करने और फलने-फूलने की आवश्यकता होती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 51:** राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत, राज्य अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने और मध्यस्थता द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा।
- **विदेश नीति ढांचा:** भारत का जुड़ाव 'नेबरहुड फर्स्ट' (पड़ोसी पहले) नीति के सिद्धांतों द्वारा शासित होता है, जो तत्काल और विस्तारित पड़ोसियों के साथ स्थिर, सहकारी संबंधों को प्राथमिकता देता है, अक्सर राजनयिक उपकरण के रूप में विकास साझेदारी का उपयोग करता है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता:** भारत तालिबान प्रशासन को औपचारिक राजनयिक मान्यता दिए बिना अपने क्षेत्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करने और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए अफगानिस्तान में वास्तविक अधिकारियों (de facto authorities) के साथ जुड़ने की नीति बनाए रखता है।

निष्कर्ष

भारत और तालिबान प्रशासन के बीच गहरे कृषि संबंधों की शुरुआत क्षेत्रीय कूटनीति के प्रति एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। खाद्य सुरक्षा और कृषि उत्पादकता जैसे आवश्यक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके, भारत का लक्ष्य अफगानिस्तान में मानवीय संकटों को कम करना है। यह जुड़ाव सावधानीपूर्वक अंशांकित है, जो औपचारिक राजनीतिक मान्यता के बजाय सतत विकास और जन-केंद्रित समर्थन को प्राथमिकता देता है, जिससे यह क्षेत्रीय स्थिरता में भारत के दीर्घकालिक हितों के अनुरूप है।

UPSC प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन पेपर II:** भारत और उसके पड़ोसी-संबंध; भारत को शामिल करने वाले या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते।

- **सामान्य अध्ययन पेपर III:** प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से संबंधित मुद्दे; खाद्य सुरक्षा।
- **अंतरराष्ट्रीय संबंध:** मध्य और दक्षिण एशिया में भारत की रणनीतिक पहुंच, और राजनयिक पैतरेबाज़ी में 'सॉफ्ट पावर' व तकनीकी सहायता की भूमिका।

4. एस. जानकी: विरासत और राजकीय सम्मान

मुख्य अंश एवं सारांश

- प्रसिद्ध पार्श्व गायिका एस. जानकी को मैसूरु के निकट कनियानाहुंडी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस समारोह में उनके परिवार, गणमान्य व्यक्तियों और प्रशंसकों ने भाग लिया।
- अपनी अद्वितीय बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाने वाली, जानकी का करियर कई दशकों तक फैला रहा, जिसने अपनी भावपूर्ण गायकी के माध्यम से भारतीय सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी।
- कर्नाटक राज्य सरकार ने भारत की सांस्कृतिक और संगीतमय विरासत में उनके अपार योगदान के सम्मान में राजकीय सम्मान प्रदान किया।
- जानकी, जिन्हें अक्सर 'दक्षिण की कोकिला' कहा जाता है, ने कई भारतीय भाषाओं में हजारों गीत रिकॉर्ड किए, जो संगीत के माध्यम से सांस्कृतिक दूरियों को पाटते हैं।
- उनके निधन के साथ दक्षिण भारतीय फिल्म संगीत के एक युग का अंत हो गया है। राष्ट्रीय नेताओं और फिल्म जगत से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, जो उनके शालीन स्वभाव और कला के प्रति समर्पण को रेखांकित करती है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **राजकीय सम्मान (State Honours):** प्रख्यात व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला सम्मान का प्रतीक, जिसमें आमतौर पर अंतिम संस्कार के दौरान औपचारिक पुलिस उपस्थिति और आधिकारिक प्रतिनिधित्व शामिल होता है।
- **पार्श्व गायन (Playback Singing):** सिनेमा में एक तकनीक जहाँ गीत पेशेवर गायकों द्वारा पहले रिकॉर्ड किए जाते हैं और बाद में अभिनेताओं द्वारा स्क्रीन पर लिप-सिंक किए जाते हैं। यह भारतीय फिल्म उद्योग की आधारशिला है।
- **सांस्कृतिक प्रतीक (Cultural Icon):** एक ऐसा व्यक्ति जिसका काम किसी राष्ट्र या क्षेत्र की सामूहिक पहचान और कलात्मक संवेदनाओं को गहराई से प्रभावित और आकार देता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 51A(f):** भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य मानता है कि वह हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व दे और उसका संरक्षण करे।

- **कला और संस्कृति नीति:** यद्यपि संगीत एक व्यक्तिगत खोज है, कलाकारों को राज्य द्वारा मान्यता देना संस्कृति मंत्रालय और राज्य सांस्कृतिक विभागों द्वारा समर्थित सांस्कृतिक संरक्षण के व्यापक ढांचे के अंतर्गत आता है।
- **राजकीय अंतिम संस्कार का प्रोटोकॉल:** राजकीय सम्मान प्रदान करने के दिशा-निर्देश आमतौर पर व्यक्ति के कद के आधार पर राज्य-विशिष्ट प्रोटोकॉल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें अक्सर उच्च-रैंकिंग सरकारी अधिकारी या वे नागरिक शामिल होते हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए असाधारण योगदान दिया है।

निष्कर्ष

एस. जानकी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार इस बात की मार्मिक पहचान है कि कलाकार राष्ट्रीय चेतना को परिभाषित करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी विरासत केवल मनोरंजन से परे है, जो संगीत के माध्यम से भाषाई और सांस्कृतिक एकीकरण के प्रति उनके आजीवन समर्पण का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य द्वारा इस तरह के संकेत उन लोगों के योगदान को संरक्षित करने और जश्न मनाने के महत्व की पुष्टि करते हैं जिन्होंने भारत के सांस्कृतिक ताने-बाने को समृद्ध किया है।

UPSC प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन पेपर I:** प्राचीन से आधुनिक समय तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू; भारतीय सांस्कृतिक विरासत।
- **सामान्य अध्ययन पेपर II:** कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।
- **निबंध:** सामाजिक सद्भाव में प्रदर्शन कला की भूमिका और तेजी से आधुनिक होते समाज में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का महत्व।

5. न्यायिक निरीक्षण बनाम मंदिर स्वायत्तता: सबरीमाला बहस

मुख्य अंश एवं सारांश

- केरल के देवस्वोम मंत्री ने सबरीमाला और अन्य राज्य के मंदिरों के प्रशासनिक और अनुष्ठानिक मामलों में 'अत्यधिक हस्तक्षेप' के लिए केरल उच्च न्यायालय की आलोचना की है।
- सरकार का तर्क है कि न्यायिक निर्देश—जो मंदिर के अनुष्ठानों जैसे सूक्ष्म विवरणों तक विस्तारित हैं—देवस्वोम बोर्डों की स्वायत्तता और भक्तों के अधिकारों को कमजोर करते हैं।
- विधायी मंचों के बाहर प्रशासनिक चिंताएं व्यक्त किए जाने पर 'न्यायालय की अवमानना' की संभावना के बारे में चिंताएं उठाई गई हैं, जो लोकतांत्रिक चर्चा में बाधा डालती हैं।
- सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी के मामले से संबंधित विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट की धीमी प्रगति को लेकर निराशा बढ़ रही है।
- चल रहा टकराव मंदिर प्रशासन में राज्य की भूमिका और पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं के संरक्षण के बीच के तनाव को उजागर करता है।

- मंत्री ने धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन में न्यायिक हस्तक्षेप की उचित सीमाओं पर एक महत्वपूर्ण संवाद का आह्वान किया है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **देवस्वोम बोर्ड (Devaswom Boards):** केरल में हिंदू मंदिरों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय, जो संपत्ति के रखरखाव और पूजा के विनियमन को सुनिश्चित करते हैं।
- **न्यायिक सक्रियता/अतिरेक (Judicial Overreach):** एक ऐसी घटना जहाँ न्यायपालिका कथित तौर पर प्रशासनिक या अनुष्ठानिक कार्यों का सूक्ष्म प्रबंधन करके कार्यपालिका या विधायिका के क्षेत्र में अतिक्रमण करती है।
- **न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court):** एक कानूनी प्रावधान जहाँ ऐसे आचरण के लिए दंडित किया जा सकता है जो न्यायालय के अधिकार, न्याय या गरिमा की अवहेलना, अनादर या अपमान करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 25 और 26:** धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देते हैं। अनुच्छेद 26 विशेष रूप से धार्मिक संप्रदायों को लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है।
- **अनिवार्य धार्मिक प्रथा (ERP) परीक्षण:** एक न्यायिक सिद्धांत जिसका उपयोग न्यायालय यह भेद करने के लिए करते हैं कि कौन सी प्रथाएं धर्म के लिए अभिन्न (संरक्षित) हैं और कौन सी धर्मनिरपेक्ष या प्रशासनिक (राज्य विनियमन के अधीन) हैं।
- **शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers):** भारतीय संविधान का एक मूलभूत सिद्धांत (मूल ढांचा) जो जांच और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को रेखांकित करता है।

निष्कर्ष

मंदिर के मामलों में केरल उच्च न्यायालय की भागीदारी को लेकर गतिरोध धार्मिक स्वतंत्रता के साथ धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को संतुलित करने की व्यापक और जटिल चुनौती को दर्शाता है। हालांकि कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए न्यायिक निरीक्षण आवश्यक है, लेकिन इसे सावधानीपूर्वक अंशांकित (calibrate) किया जाना चाहिए ताकि धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता का उल्लंघन न हो। संवैधानिक नैतिकता और आस्था की पवित्रता दोनों को बनाए रखने के लिए न्यायिक सूक्ष्म-प्रबंधन के बजाय एक सहयोगात्मक ढांचा आवश्यक है।

UPSC प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन पेपर II:** विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण; विवाद निवारण तंत्र और संस्थान; सामाजिक क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।
- **सामान्य अध्ययन पेपर IV (नीतिशास्त्र):** संवैधानिक नैतिकता और पारंपरिक प्रथाओं के बीच संघर्ष; धार्मिक ट्रस्टों के सार्वजनिक प्रशासन में अखंडता।
- **निबंध:** लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका; धर्मनिरपेक्षता और भारत में धार्मिक संस्थानों के साथ राज्य का जुड़ाव।

6. बंदी हाथियों का अंतर-राज्यीय स्थानांतरण: नीति और चिंताएं

मुख्य अंश एवं सारांश

- कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने केरल सरकार से कोल्लूर मूकांबिका मंदिर के लिए धार्मिक अनुष्ठान करने हेतु एक हथनी दान करने की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया है।
- यह अनुरोध बंदी हाथियों (captive elephants) के अंतर-राज्यीय स्थानांतरण की जटिलताओं को उजागर करता है, जो राष्ट्रीय वन्यजीव कानूनों के तहत सख्ती से विनियमित हैं।
- केरल, जहां लगभग 368 बंदी हाथी हैं, ने संरक्षण और नियामक बाधाओं का हवाला देते हुए पहले अन्य राज्यों, जैसे तेलंगाना, के इसी तरह के अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है।
- स्थानांतरण कानूनी रूप से केवल उन जानवरों तक सीमित हैं जिनके पास 24 फरवरी 2024 से पहले जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल कानूनी रूप से अधिग्रहित जानवरों को ही स्थानांतरित किया जा रहा है।
- अनिवार्य अनुपालन के लिए हाथियों की आनुवंशिक प्रोफाइलिंग (genetic profiling) को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के निगरानी एप्लिकेशन में पंजीकृत करना आवश्यक है।
- यह अनुरोध मंदिर के हाथियों से जुड़ी सांस्कृतिक परंपराओं और पशु कल्याण में सुधार के उद्देश्य से विकसित कानूनी ढांचे के बीच चल रहे तनाव को रेखांकित करता है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- बंदी हाथी (Captive Elephant):** वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत विनियमित, धार्मिक समारोहों, पर्यटन या वानिकी कार्यों सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए कैद में रखा गया हाथी।
- स्वामित्व प्रमाण पत्र (Ownership Certificate):** वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा जारी एक कानूनी दस्तावेज, जो किसी व्यक्ति या संस्थान को जंगली जानवर या उसके ट्रॉफी/व्युत्पन्न रखने का अधिकार देता है।
- आनुवंशिक प्रोफाइलिंग (Genetic Profiling):** वैज्ञानिक निगरानी सुनिश्चित करने, अवैध व्यापार को रोकने और राज्य सीमाओं के पार आवाजाही को ट्रैक करने के लिए एक हाथी के अद्वितीय डीएनए प्रोफाइल को निर्धारित करने की प्रक्रिया।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** जंगली जानवरों के संरक्षण को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून। धारा 43 वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जंगली जानवरों की बिक्री या स्थानांतरण को सख्ती से प्रतिबंधित करती है, हालांकि यह कड़े निरीक्षण के तहत गैर-वाणिज्यिक स्थानांतरण के लिए विशिष्ट, सीमित अवसर प्रदान करती है।
- बंदी हाथी (स्थानांतरण या परिवहन) नियम, 2024:** MoEFCC के इन हालिया दिशा-निर्देशों ने अंतर-राज्यीय स्थानांतरण के मानदंडों को कड़ा कर दिया है, जिसमें आनुवंशिक प्रोफाइलिंग अनिवार्य की गई है और जानवरों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए स्थानांतरण को सीमित किया गया है।

- **अनुच्छेद 48A:** संविधान राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।

निष्कर्ष

केरल से कर्नाटक तक एक बंदी हाथी के स्थानांतरण का अनुरोध आधुनिक वन्यजीव संरक्षण कानूनों के कठोर अनुप्रयोग के लिए एक केस स्टडी के रूप में कार्य करता है। जैसे-जैसे भारत एक सख्त नियामक वातावरण की ओर बढ़ रहा है, बंदी जानवरों से जुड़ी पारंपरिक प्रथाओं की पशु अधिकारों और कानूनी अनुपालन के मानकों के आधार पर जांच की जा रही है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के आदेशों के साथ आध्यात्मिक विरासत को संतुलित करना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि ऐसी प्रथाएं नैतिक और टिकाऊ बनी रहें।

UPSC प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन पेपर II:** सामाजिक क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; संघीय संबंध और अंतर-राज्यीय सहयोग।
- **सामान्य अध्ययन पेपर III:** संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण; पर्यावरणीय प्रभाव आकलन; पशु कल्याण कानून।
- **नीतिशास्त्र:** आधुनिक पशु कल्याण मानकों के साथ पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं का चौराहा और प्रतिस्पर्धात्मक सार्वजनिक हितों को संतुलित करने में राज्य की जिम्मेदारी।

7. न्यायिक अवकाश और लंबित मामलों का संकट

मुख्य अंश एवं सारांश

- भारत 5.39 करोड़ से अधिक लंबित मामलों के साथ एक भारी न्यायिक बैकलॉग का सामना कर रहा है, यह संकट औपनिवेशिक युग की सामूहिक अदालती छुट्टियों की प्रथा से और गहरा गया है।
- न्यायपालिका एक ऐसे कैलेंडर का पालन करना जारी रखती है जो गर्मियों और सर्दियों में एक साथ लंबी छुट्टियों की अनुमति देता है, जिसके बारे में आलोचकों का तर्क है कि यह न्याय की निरंतरता को बाधित करता है।
- मालिमठ समिति और संसदीय स्थायी समितियों ने न्यायिक अवकाश के 'स्टैगरिंग' (staggering) — यानी न्यायाधीशों को बारी-बारी से अवकाश देकर अदालतों को साल भर पूरी तरह से कार्यात्मक बनाए रखने — जैसे सुधारों की सिफारिश की है।
- हालांकि न्यायपालिका में रिक्तियां लंबित मामलों का एक प्राथमिक कारण हैं, लेकिन छुट्टियों के दौरान बेंच की संख्या कम करने की वर्तमान प्रथा को सीमित मानव संसाधनों का अक्षम उपयोग माना जाता है।
- आंतरिक सुधारों के अलावा, रिपोर्ट औपचारिक अदालतों पर बोझ को कम करने के लिए लोक अदालतों, मध्यस्थता (mediation) और पंचाट (arbitration) जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्रों की क्षमता पर जोर देती है।

- विशेषज्ञ विशिष्ट मामलों के बैकलॉग को साफ करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को लक्षित भूमिकाओं में शामिल करने का सुझाव देते हैं, जिससे अनुभवी विशेषज्ञता को न्यायिक दक्षता के लिए एक व्यावहारिक समाधान में बदला जा सके।

आवश्यक परिभाषाएँ

- विचाराधीन कैदी (Undertrials):** वे व्यक्ति जो वर्तमान में हिरासत में हैं और मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं या जिनका मुकदमा चल रहा है; उन्हें दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है और अक्सर ये जेल की आबादी का एक बड़ा हिस्सा होते हैं।
- लंबित मामले (Pendency):** उन कानूनी मामलों की स्थिति जो दायर तो किए गए हैं लेकिन अदालत द्वारा अभी तक निपटाए नहीं गए हैं, जिससे अक्सर न्याय मिलने में काफी देरी होती है।
- वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR):** मध्यस्थता, पंचाट और लोक अदालत जैसी विधियाँ जिनका उद्देश्य समय और संसाधनों को बचाने के लिए औपचारिक अदालत के बाहर विवादों को हल करना है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- अनुच्छेद 21:** जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में त्वरित सुनवाई का अधिकार शामिल है। समय पर अदालती हस्तक्षेप के बिना विचाराधीन कैदियों की लंबी कैद को अक्सर इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता है।
- मध्यस्थता अधिनियम, 2023:** कुछ नागरिक और वाणिज्यिक विवादों के लिए मध्यस्थता को अनिवार्य पहला कदम बनाने के लिए एक विधायी प्रयास, जिससे अदालतों के समक्ष मुकदमेबाजी को कम किया जा सके।
- मूल ढांचा सिद्धांत (Basic Structure Doctrine):** हालांकि अदालत का प्रशासन आंतरिक है, न्यायपालिका का सुलभ न्याय सुनिश्चित करने का कर्तव्य उसके संवैधानिक जनादेश से प्राप्त होता है, जिससे संरचनात्मक अक्षमता जनहित का मामला बन जाती है।

निष्कर्ष

न्यायिक छुट्टियों पर बहस एक overworked न्यायपालिका के लिए आराम की आवश्यकता और न्याय तक निरंतर पहुंच की संवैधानिक अनिवार्यता के बीच एक मौलिक तनाव को उजागर करती है। स्टैगरिंग अवकाश प्रणाली की ओर बढ़ना और ADR तंत्रों के उपयोग का विस्तार करना केवल प्रशासनिक समायोजन नहीं हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कदम हैं कि न्यायिक प्रणाली एक उत्तरदायी सार्वजनिक संस्थान के रूप में कार्य करे। सच्चे सुधार के लिए न्यायपालिका को अपने परिचालन कैलेंडर को न्याय की प्रतीक्षा कर रहे लाखों नागरिकों की तत्काल जरूरतों के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है।

UPSC प्रासंगिकता

- सामान्य अध्ययन पेपर II:** न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; मामलों के निपटान में देरी से संबंधित मुद्दे।
- सामान्य अध्ययन पेपर IV (नीतिशास्त्र):** संस्थागत परंपराओं और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण की नैतिक मांग के बीच संघर्ष।
- निबंध:** न्यायिक पेंडेंसी का संकट; सार्वजनिक संस्थानों में प्रशासनिक सुधार; संस्थागत कल्याण और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन।

8. हीलियम निर्यात पर प्रतिबंध: रणनीतिक निहितार्थ और आपूर्ति श्रृंखला गतिशीलता

मुख्य अंश एवं सारांश

- चीन ने हीलियम निर्यात पर तत्काल अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे इस महत्वपूर्ण अक्रिय गैस (inert gas) के लिए वैश्विक आपूर्ति स्थिरता पर चिंता बढ़ गई है।
- हालांकि चीन दुनिया की केवल 1.6% हीलियम का उत्पादन करता है और अपनी 80% से अधिक जरूरतों का आयात करता है, इस कदम को उसके सेमीकंडक्टर और चिकित्सा क्षेत्रों के लिए घरेलू आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए एक रणनीतिक एहतियाती उपाय के रूप में देखा जा रहा है।
- वैश्विक हीलियम बाजार पहले से ही पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव — जहां उत्पादन का एक-तिहाई हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरता है — और रूस की प्रतिबंधात्मक निर्यात नीतियों के कारण दबाव में है।
- हीलियम एक गैर-नवीकरणीय संसाधन है जिसे प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण के उप-उत्पाद (byproduct) के रूप में निकाला जाता है, जिससे इसकी आपूर्ति सीमित और प्राकृतिक गैस बाजार में उतार-चढ़ाव पर अत्यधिक निर्भर हो जाती है।
- यह वस्तु उच्च-तकनीकी उद्योगों के लिए अपरिहार्य है, जो MRI मैग्नेट, सिलिकॉन वेफर निर्माण, क्वांटम कंप्यूटर और रॉकेट ईंधन टैंक दबाव के लिए एक महत्वपूर्ण शीतलक (coolant) के रूप में कार्य करती है।
- हीलियम आपूर्ति श्रृंखला अत्यधिक पूंजी-प्रधान है, जिसमें विशेष शुद्धिकरण, महंगे वैक्यूम-जैकेटेड स्टेनलेस स्टील परिवहन पोत और क्रायोजेनिक भंडारण सुविधाएं शामिल हैं।

आवश्यक परिभाषाएँ

- अक्रिय गैस (Inert Gas):** एक ऐसी गैस जो दी गई स्थितियों के एक सेट के तहत रासायनिक प्रतिक्रियाओं से नहीं गुजरती है, जो इसे शीतलन और नियंत्रित वातावरण के लिए आदर्श बनाती है।
- फोर्स मेज्योर (Force Majeure):** एक संविदात्मक खंड जो किसी पार्टी को अप्रत्याशित और अपरिहार्य आपदाओं या उनके नियंत्रण से बाहर की घटनाओं के कारण अपने दायित्वों को पूरा करने से छूट देता है।
- क्रायोजेनिक तरल (Cryogenic Liquid):** एक पदार्थ जो केवल अत्यधिक कम तापमान (-150°C से नीचे) पर तरल रहता है, जिसके भंडारण और परिवहन के लिए विशेष इंसुलेटेड बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- निर्यात नियंत्रण कानून:** राष्ट्र घरेलू औद्योगिक उन्नति के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण संसाधनों, विशेष रूप से उच्च-तकनीकी विनिर्माण में, की निकासी को रोकने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा या रणनीतिक स्वायत्तता खंडों के तहत निर्यात प्रतिबंधों का उपयोग कर रहे हैं।

- **व्यापार विकृति:** प्रमुख बाजार खिलाड़ियों द्वारा किए गए ऐसे एकतरफा कदम 'टिट-फॉर-टैट' (जैसे को तैसा) व्यापार उपायों को ट्रिगर कर सकते हैं, जो संभावित रूप से गैर-भेदभाव और व्यापार बाधाओं को कम करने से संबंधित विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकते हैं।
- **रणनीतिक संसाधन प्रबंधन:** सरकारें हीलियम जैसे तत्वों को 'महत्वपूर्ण खनिजों/गैसों' के रूप में देखने की ओर बढ़ रही हैं, जिससे ऐसी नीतियां बन रही हैं जो वैश्विक बाजार की स्वतंत्रता पर घरेलू स्टॉकपिलिंग और संप्रभु आपूर्ति सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं।

निष्कर्ष

चीनी निर्यात प्रतिबंध 'तत्वों की भू-राजनीति' को दर्शाता है, जहां दुर्लभ या महत्वपूर्ण संसाधन व्यापक तकनीकी और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में मोहरे बन जाते हैं। जैसे-जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग और उन्नत एयरोस्पेस तकनीक के लिए मांग बढ़ती है, हीलियम आपूर्ति श्रृंखला की भेद्यता वैश्विक वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति के लिए जोखिम पैदा करती है। दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वैकल्पिक निष्कर्षण प्रौद्योगिकियों या अधिक कुशल संरक्षण विधियों में निवेश की आवश्यकता होगी।

UPSC प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन पेपर II:** भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।
- **सामान्य अध्ययन पेपर III:** बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे, आदि; विज्ञान और प्रौद्योगिकी-विकास और उनके अनुप्रयोग।
- **मुख्य विषय:** आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, महत्वपूर्ण खनिजों/गैसों में रणनीतिक स्वायत्तता, और संसाधन सुरक्षा में अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों की भूमिका।

9. जिला विकास परिषद (DDC) और J&K में स्थानीय शासन

मुख्य अंश एवं सारांश

- प्रत्यक्ष स्थानीय लोकतंत्र के लिए एक तंत्र के रूप में 2021 में स्थापित, जम्मू और कश्मीर में जिला विकास परिषदों (DDC) ने 2026 की शुरुआत में अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किया।
- DDC मॉडल एक गहन बहस का विषय है, जिसमें समर्थक इसे जमीनी शासन की ओर एक कदम के रूप में देखते हैं और आलोचक इसे एक ऐसी संरचना मानते हैं जो केंद्रीकृत नौकरशाही नियंत्रण को बढ़ावा देती है।
- 73वें और 74वें संशोधनों द्वारा अनिवार्य जिला योजना समितियों (DPCs) के विपरीत, जो नीचे से ऊपर तक स्थानीय विकास योजनाओं को एकत्रित करती हैं, DDC समानांतर कार्यकारी अधिकारियों के रूप में कार्य करती हैं।
- आलोचक असमान सीट आवंटन सहित महत्वपूर्ण संरचनात्मक खामियों की ओर इशारा करते हैं, जो जनसंख्या भिन्नता को नजरअंदाज करती है, जैसे कि श्रीनगर और किश्तवाड़ जिलों के बीच समानता।

- DDC ढांचे की तुलना अक्सर 'स्पेशल पर्पस व्हीकल' (SPV) से की जाती है जो स्थापित स्थानीय शहरी और ग्रामीण निकायों को दरकिनार करते हैं, प्रभावी रूप से शासन के विकल्प के रूप में कार्य करते हैं।
- सच्चे विकेंद्रीकरण के लिए, पर्यवेक्षकों के अनुसार, वित्तीय सशक्तिकरण सुनिश्चित करने और मतदाताओं के प्रति वास्तविक जवाबदेही के लिए संवैधानिक रूप से परिकल्पित DPC मॉडल में वापस संक्रमण की आवश्यकता है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण:** केंद्रीय या राज्य सरकार से निर्वाचित स्थानीय निकायों को शक्ति, अधिकार और संसाधनों के हस्तांतरण की प्रक्रिया, यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय नियोजन में नागरिकों की सीधी भागीदारी हो।
- **स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV):** एक विशिष्ट कार्य या परियोजना के लिए बनाई गई एक कानूनी इकाई, जिसे अक्सर केंद्रीकृत नियंत्रण का उपयोग करने के लिए स्थापित लोकतांत्रिक संस्थानों को दरकिनार करने के लिए शासन में आलोचना का सामना करना पड़ता है।
- **प्रति व्यक्ति प्रतिनिधित्व:** यह सिद्धांत कि एक प्रतिनिधि का राजनीतिक वजन उनके द्वारा सेवा की जाने वाली जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए; DDC मॉडल पर समान सीट आवंटन का उपयोग करके इसका उल्लंघन करने का आरोप है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम:** इन अधिनियमों ने ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक संवैधानिक आधार प्रदान किया, जिसमें नियमित चुनाव और अनुच्छेद 243ZD के तहत जिला योजना समितियों (DPCs) के निर्माण को अनिवार्य किया गया।
- **अनुच्छेद 243ZD:** पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए एक DPC के निर्माण को अनिवार्य बनाता है, जो स्थानीय जनादेश और जिला-स्तरीय नियोजन के बीच सेतु के रूप में कार्य करता है।
- **मूल ढांचा सिद्धांत:** हालांकि राज्य के पास प्रशासनिक शक्ति है, "स्थानीय स्वशासन" के लिए संवैधानिक जनादेश को लोकतांत्रिक संघवाद का एक प्रमुख घटक माना जाता है जिसे DDC मॉडल कमजोर करता है।

निष्कर्ष

जम्मू और कश्मीर में DDC का अनुभव प्रशासनिक दक्षता और प्रामाणिक लोकतांत्रिक भागीदारी के बीच तनाव को रेखांकित करता है। जबकि सरकार ने क्षेत्र को राष्ट्रीय संवैधानिक ढांचे में एकीकृत करने की मांग की, DDC जैसी समानांतर संरचनाओं का निर्माण उन जमीनी संस्थानों को कमजोर करने का जोखिम उठाता है जिन्हें 73वें और 74वें संशोधनों ने सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा था। J&K में स्थानीय लोकतंत्र के फलने-फूलने के लिए, शासन को ऊपर से नीचे की नौकरशाही प्रबंधन से हटकर एक ऐसी प्रणाली में बदलना चाहिए जो राष्ट्रीय संवैधानिक मानदंडों के अनुरूप ग्राम और जिला स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाए।

UPSC प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन पेपर II:** कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; संघ और राज्यों की भूमिकाएं; संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां; स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण।

- **निबंध:** जमीनी लोकतंत्र की आवश्यकता; प्रशासनिक सुविधा और राजनीतिक जवाबदेही के बीच संघर्ष; भारत में संघवाद की पुनर्कल्पना।

10. ISRO गगनयान मिशन: सफल सिस्टम योग्यता परीक्षण

मुख्य अंश एवं सारांश

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने गगनयान कू मॉड्यूल के लिए तीन महत्वपूर्ण योग्यता परीक्षण (qualification tests) सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं, जो मिशन की सुरक्षा और संरचनात्मक अखंडता को सुनिश्चित करते हैं।
- कू मॉड्यूल अपराइटिंग सिस्टम (CMUS) का परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि मॉड्यूल समुद्र में गिरने (splashdown) के बाद सीधा रहे, जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित रिकवरी के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
- 'अम्बिलिकल मैकेनिज्म' (CSU-2) का एक 'क्लीन सेपरेशन' परीक्षण आयोजित किया गया, जिसमें पृथ्वी पर पुनः प्रवेश के दौरान कू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के बीच भौतिक अलगाव को मान्य किया गया।
- एपेक्स कवर सेपरेशन इवेंट के दौरान कू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को मान्य किया गया, जो पैराशूट की सफल तैनाती के लिए आवश्यक है।
- ये परीक्षण एक कठोर योग्यता प्रक्रिया का हिस्सा हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी उप-प्रणालियाँ वायुमंडलीय पुनः प्रवेश और समुद्र में लैंडिंग की चरम स्थितियों के तहत त्रुटिहीन रूप से कार्य करें।
- इन प्रणालियों को पूर्ण करके, ISRO मानव अंतरिक्ष उड़ान (HSF) के लिए स्वदेशी क्षमता प्रदर्शित करने के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गया है, जो वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के कद को मजबूत करता है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **कू मॉड्यूल (CM):** मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों का रहने का दबावयुक्त आवास, जिसे अंतरिक्ष के कठोर वातावरण और वायुमंडलीय पुनः प्रवेश की तीव्र गर्मी का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **सर्विस मॉड्यूल (SM):** अंतरिक्ष यान का वह हिस्सा जो CM से अलग होने से पहले प्रणोदन (propulsion), बिजली और पर्यावरण नियंत्रण प्रणालियों सहित आवश्यक सहायता प्रदान करता है।
- **एपेक्स कवर:** कू मॉड्यूल के शीर्ष पर एक सुरक्षा कवच जो पैराशूट प्रणालियों की रक्षा करता है जब तक कि उन्हें उतरने के चरण के दौरान गति कम करने के लिए उनकी आवश्यकता न हो।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 51A(h):** संविधान का आदेश है कि प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जांच तथा सुधार की भावना विकसित करे।
- **अंतरिक्ष नीति 2023:** यह नीतिगत ढांचा भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए रोडमैप प्रदान करता है, जो तकनीकी आत्मनिर्भरता, निजी क्षेत्र की भागीदारी और HSF क्षमताओं के विकास को प्रोत्साहित करता है।

- **अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून:** गगनयान मिशन 'बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1967' का पालन करता है, जो इस बात पर जोर देती है कि अंतरिक्ष अन्वेषण सभी देशों के लाभ और हितों के लिए किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

गगनयान प्रणालियों का सफल परीक्षण भारत की स्वतंत्र मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं वाले एक अंतरिक्ष-उड़ान राष्ट्र बनने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये तकनीकी सत्यापन पुनः प्रवेश और रिकवरी से जुड़ी जोखिमों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो क्रूर सुरक्षा के प्रति ISRO के सूक्ष्म दृष्टिकोण को रेखांकित करते हैं। जैसे-जैसे भारत मिशन की तैयारी कर रहा है, ये विकास इंजीनियरिंग परिशुद्धता और तकनीकी नवाचार के एक मजबूत मिश्रण का प्रतीक हैं।

UPSC प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन पेपर III:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीक का विकास; अंतरिक्ष मिशन और उनका सामाजिक-आर्थिक विकास में अनुप्रयोग।
- **मुख्य विषय:** अंतरिक्ष में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान (HSF) का महत्व, और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने में वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास की भूमिका।

11. न्यायिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाना: लिंग-उत्तरदायी सुविधाओं पर ध्यान

मुख्य अंश एवं सारांश

- भारत के मुख्य न्यायाधीश, सूर्य कांत ने जोर देकर कहा है कि न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मजबूत न्यायिक बुनियादी ढांचा विलासिता के बजाय एक मौलिक आवश्यकता है।
- महिला अधिवक्ताओं के लिए अनिवार्य सुविधाओं — जैसे कि अलग बार रूम और चाइल्डकैअर सेंटर — को सभी नए अदालती निर्माण परियोजनाओं में पूर्व-शर्त बनाने का निर्देश जारी किया गया है।
- नए गुरुग्राम जिला और सत्र न्यायालय परिसर का उद्घाटन औद्योगिक और शहरी केंद्रों में कानूनी विवादों की बढ़ती मात्रा को संबोधित करने की आवश्यकता को उजागर करता है।
- CJI कांत ने राज्य के तीनों अंगों की जिम्मेदारी पर जोर दिया कि वे एक ऐसा स्वागत योग्य वातावरण प्रदान करें जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोरवादियों में विश्वास पैदा करे।
- सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सर्वेक्षण का डेटा विभिन्न राज्यों में महिला कानूनी पेशेवरों के लिए बुनियादी सुविधाओं की प्रणालीगत कमी को इंगित करता है, जिससे तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- आधुनिक न्यायिक परिसर मॉडल को मुकदमेबाजी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए मध्यस्थता केंद्रों, बैंकिंग और डाक सुविधाओं जैसी नागरिक-केंद्रित सेवाओं को एकीकृत करने के लिए परिकल्पित किया गया है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **न्यायिक बुनियादी ढांचा:** अदालती कार्यवाही, प्रतीक्षा क्षेत्र, वॉशरूम और बार सदस्यों के लिए पेशेवर स्थान सहित भौतिक संपत्ति, जो न्याय वितरण प्रणाली के कुशल कामकाज के लिए आवश्यक है।

- **लिंग-उत्तरदायी शासन:** बुनियादी ढांचे और नीति विकास के लिए एक दृष्टिकोण जो समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं, सुरक्षा और पेशेवर आवश्यकताओं को सक्रिय रूप से संबोधित करता है।
- **नागरिक-केंद्रित सुविधाएँ:** सार्वजनिक संस्थानों में एकीकृत सुविधाएँ जिनका उद्देश्य आम लोगों की कठिनाइयों को कम करना है, जैसे सुलभ बैठने की व्यवस्था, पेयजल और कार्यात्मक सूचना केंद्र।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 39A:** संविधान राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे, यह सुनिश्चित करते हुए कि आर्थिक या अन्य विकलांगता के कारण न्याय पाने के अवसर से वंचित न रहें।
- **अनुच्छेद 15(3):** राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है, जो न्यायपालिका में महिलाओं के पेशेवर एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए लक्षित बुनियादी ढांचा वृद्धि के लिए एक संवैधानिक आधार प्रदान करता है।
- **न्यायिक बुनियादी ढांचे पर राष्ट्रीय नीति:** हालांकि जिला अदालत के बुनियादी ढांचे की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा वितरण में एकरूपता और आधुनिकीकरण सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

निष्कर्ष

मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिंग-समावेशी न्यायिक बुनियादी ढांचे का आह्वान भारत की अदालत प्रणाली के वि-औपनिवेशीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिला अधिवक्ताओं के लिए सुविधाओं को संस्थागत बनाकर और वादियों के आराम को प्राथमिकता देकर, न्यायपालिका समकालीन सामाजिक आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित हो रही है। इस तरह के संरचनात्मक सुधार कानून की उपस्थिति से परे जाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वातावरण स्वयं सभी हितधारकों के लिए गरिमा, समानता और सुलभ न्याय के संवैधानिक वादे का समर्थन करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन पेपर II:** न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; न्याय तक पहुंच से संबंधित मुद्दे; शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण।
- **सामान्य अध्ययन पेपर IV (नीतिशास्त्र):** एक नैतिक अनिवार्यता के रूप में लैंगिक समानता; समावेशी और गरिमापूर्ण पेशेवर वातावरण बनाने में लोक सेवकों और संस्थागत नेताओं की भूमिका।
- **निबंध:** न्याय की वास्तुकला; न्यायिक प्रशासन में चुनौतियां; सार्वजनिक जीवन में महिलाएं और संस्थागत बाधाएं।

12. 2016 के दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता फैसले की पुनः पुष्टि

मुख्य अंश एवं सारांश

- अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ के सदस्यों सहित 14 देशों के एक गठबंधन ने 2016 के स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) के फैसले की पुनः पुष्टि की है, जो इस ऐतिहासिक निर्णय की 10वीं वर्षगांठ है।
- समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) के तहत स्थापित 2016 के न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया कि चीन के व्यापक "नाइन-डैश लाइन" समुद्री दावों का अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कोई कानूनी आधार नहीं है।
- संयुक्त बयान स्पष्ट रूप से "अस्थिर करने वाली" और एकतरफा कार्रवाइयों को खारिज करता है, जैसे कि क्षेत्र में वैध समुद्री संचालन में बाधा डालने के लिए सैन्य या मिलिशिया जहाजों का उपयोग।
- चीन फैसले को खारिज करना जारी रखता है, इसे "शून्य और व्यर्थ" बताता है और दावा करता है कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है, इस प्रकार किसी भी तीसरे पक्ष के विवाद निपटान तंत्र को स्वीकार करने से इनकार करता है।
- पुनः पुष्टि हस्ताक्षरकर्ता देशों की "नियम-आधारित" अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, नेविगेशन की स्वतंत्रता और समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
- दक्षिण चीन सागर एक महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार धमनी बना हुआ है, और यह फैसला संप्रभु अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय समुद्री दायित्वों को संतुलित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **नाइन-डैश लाइन:** दक्षिण चीन सागर के लगभग 90% हिस्से पर अपने व्यापक दावों को चित्रित करने के लिए चीन द्वारा उपयोग की जाने वाली एक ऐतिहासिक सीमांकन रेखा, जिसे 2016 के न्यायाधिकरण ने UNCLOS के असंगत पाया।
- **UNCLOS (समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन):** अक्सर "महासागरों का संविधान" कहा जाने वाला यह 1982 का संधि, दुनिया के समुद्रों और महासागरों के उपयोग के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित करता है, जो प्रादेशिक समुद्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) जैसे समुद्री क्षेत्रों को परिभाषित करता है।
- **मध्यस्थता (Arbitration):** विवाद समाधान का एक रूप जहां पार्टियां अपने असहमति को एक तटस्थ न्यायाधिकरण — इस मामले में, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) — के पास प्रस्तुत करती हैं, जिसका निर्णय सहमत कानूनी ढांचे के तहत बाध्यकारी होता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **UNCLOS अनुच्छेद 287/अनुबंध VII:** एक अनिवार्य और बाध्यकारी विवाद निपटान तंत्र प्रदान करता है, जो एक राज्य को मध्यस्थता शुरू करने की अनुमति देता है जब राजनयिक प्रयास कन्वेंशन की व्याख्याओं को हल करने में विफल रहते हैं।
- **रूढ़िवादी अंतरराष्ट्रीय कानून (Customary International Law):** हालांकि UNCLOS समुद्री अधिकारों को नियंत्रित करता है, क्षेत्रीय संप्रभुता विवाद (जमीन/द्वीपों का मालिक कौन है) रूढ़िवादी अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा शासित होते हैं, जो दक्षिण चीन सागर में जटिलता का एक स्रोत बना हुआ है।
- **नेविगेशन की स्वतंत्रता:** अंतरराष्ट्रीय कानून का एक सिद्धांत जिसके तहत सभी राज्यों के जहाजों को बिना किसी हस्तक्षेप के उच्च समुद्रों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के माध्यम से नेविगेट करने की अनुमति है, जो संयुक्त बयान का एक मुख्य केंद्र है।

निष्कर्ष

एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन द्वारा 2016 के फैसले की पुनः पुष्टि एक नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था और एकतरफा क्षेत्रीय दावों के बीच चल रहे तनाव को उजागर करती है। हालांकि यह फैसला क्षेत्र में समुद्री अधिकारों की निश्चित कानूनी व्याख्या बनी हुई है, लेकिन चीन का निरंतर गैर-अनुपालन क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक निरंतर चुनौती पैदा करता है। पुरस्कार के पालन पर अंतरराष्ट्रीय जोर समुद्री विवादों को सक्रिय संघर्ष में बदलने से रोकने के लिए राजनयिक संवाद और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुप्रयोग की आवश्यकता को पुष्ट करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन पेपर II:** द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते; महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।
- **सामान्य अध्ययन पेपर III:** सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन; हिंद-प्रशांत में भारत के समुद्री हित।
- **अंतरराष्ट्रीय संबंध:** राज्य आचरण में अंतरराष्ट्रीय कानून की भूमिका, UNCLOS का महत्व, और दक्षिण चीन सागर की भू-राजनीतिक गतिशीलता।

